

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-91/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० कुमारी मोनालिसा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (त्वचा रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.05.2025 से 27.10.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-91/2025- 1254(2) पटना, दिनांक 10/6 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प० चम्पारण, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/डा० कुमारी मोनालिसा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (त्वचा रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प्रतिनियुक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wahm K 815/26
सरकार के उप सचिव
६